राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.2(4)न्याय/2015 जयपुर, दिनांक : 13.6.2016

:: अधिसूचना ::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतदद्वारा, निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार या सीमाएँ कॉलम संख्या 4 में अंकित अनुसार विनिर्दिष्ट की जाती है:-

क्र.सं	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	पारिवारिक न्यायालय संख्या -2, बीकानेर	बीकानेर	राजस्व जिला, बीकानेर
2	पारिवारिक न्यायालय संख्या -3, जयपुर	जयपुर	राजस्व जिला, जयपुर
3	पारिवारिक न्यायालय संख्या -2, कोटा	कोटा	राजस्व जिला, कोटा
4	पारिवारिक न्यायालय संख्या -3, कोटा	कोटा	राजस्व जिला, कोटा

राज्यपाल के आदेश से,
sd/-
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक : प.2(4)न्याय/2015 जयपुर, दिनांक : 25.7.2016

:: अधिसूचना ::

इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.6.2016 में संशोधन/ पुर्नस्थापित करते हुए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतदद्वारा, निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है, जिनका स्थानीय क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 में अंकित अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र.सं	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	पारिवारिक न्यायालय संख्या -2, बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
2	पारिवारिक न्यायालय संख्या -3, जयपुर	जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
3	पारिवारिक न्यायालय संख्या -2, कोटा	कोटा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
4	पारिवारिक न्यायालय संख्या -3, कोटा	कोटा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।

नोट:- वर्तमान में कार्यरत पारिवारिक न्यायालय, बीकानेर एवं पारिवारिक न्यायालय, कोटा का नाम परिवर्तित कर पारिवारिक न्यायालय संख्या- 1, बीकानेर एवं पारिवारिक न्यायालय संख्या -1 कोटा किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,
sd/-
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

NO. : GENERAL/II/01/85/1013 **DATED: 01.08.2016**

Copy forwarded to following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Raj.High Court (Registrar-CPC with a direction to upload on high court website)
2. Concerned District Judges and Family Courts.
3. AOJ Confidential/RJS/SC(Estt)/Statistics/Budget/Building/Computer, RHC, Jodhpur

276
1/8/16

REGISTRAR (RULES)